उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या-133/2018/ 1176 /22-4-18-48(65)/18
लखनऊ : दिनांक- 10 सितम्बर, 2018

शुद्धि पत्र

जिला कारागार झांसी एवं उरई में कैम्पस बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु जारी शासनादेश संख्या-116/2018/985/22-4-18-48(65)/18,दिनांक-19.08.2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु (2) में उल्लिखित जिला कारागार उरई में विजिटर शेड का निर्माण के स्थान पर जिला कारागार उरई में कैम्पस बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक-19.08.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-133/2018 /1176(1)/22-4-18-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, झांसी एवं उरई(जालौन)।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in